न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— जसमीत सिंह संधू, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2023 (निगरानी पंचायत) जी.सी.एम.एस 2023/3

1. पंचायत समिति सलूम्बर, जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.),

— निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पुत्र नायाजी मीणा, ग्राम करावली, पंचायत समिति सलूम्बर जिला सलूम्बर,
2. ग्राम पंचायत करावली, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत करावली, पंचायत समिति सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

— विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत करावली के पट्टा संख्या 181 आदेश दिनांक 12.11.21

* निर्णय *

दिनांक— 12.06.2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत करावली पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा दिनांक 21.11.2021 को राजस्व ग्राम करावली में विपक्षी संख्या 1 को आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत करावली विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने संकल्प संख्या 1 दिनांक 12.11.2021 के अनुसरण में मिसल सख्या 79 बुक संख्या 4, पट्टा संख्या 181 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत करावली के द्वारा जारी उक्त पट्टा विलेख विधि के अग्रेषण में धारण योग्य नहीं है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई जिसके निम्न आधार है — विपक्षी सं. 2 द्वारा पट्टा जारी किया जाने का आदेश विधि के अग्रेषण में नहीं है तथा सुस्थापित प्रकिया के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। विपक्षी कमांक 2 द्वारा विपक्षी स. 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का पट्टा में जिस भूमि के संवन्ध में जारी किया गया है उक्त भूमि का आराजी नम्बर उक्त पट्टे में अंकित नहीं किया गया है, न ही भूखण्ड का कमांक ही अंकित किया गया है। जिस आबादी भूमि का पट्टा निष्पादित किया गया उक्त भूमि का पट्टा पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 140 से 156 की पालना पूर्ण नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा नियम विरुद्ध है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.) *

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

पट्टा संख्या 181 के सम्बन्ध में रिकार्ड ही पंचायत में उपलब्ध नही है व मूल प्रतियां गायब है तथा इन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है जिससे स्पष्ट है कि इनकी मिसल उपलब्ध नहीं है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत करावली के ग्राम विकास अधिकारी के पत्र कमांक ग्रापक/22–23/236 दिनांक 20.7.2022 से होती है। उक्त पट्टे काल्पनिक एवं बिना किसी आधार के जारी होना तथा विधिक बल रहित दस्तावेज स्वयंमेव ही निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित दिनांक को ग्राम विकास अधिकारी तत्समय भारसाधक अधिकारी थे, के द्वारा दिनांक 12.11.2021 को उक्त पट्टे जारी किये जाने की पुष्टि की गयी है तथा इन पट्टो पर न तो केता न ही अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है जबकि किसी भगवतीलाल मीणा की लिखावट इन पट्टो पर होना प्रतीत होती है। जबकि नियमानुसार उक्त पट्टे नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किये जाने चाहिए थे जबकि नियम विरूद्ध नियम 157(क) के अनुसार जारी किये गये है एवं उक्त पट्टे फर्जी होकर कोई विधिक बल नहीं रखते है एवं खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा संख्या 181 की कोई रसीद अभिलेख में नही है, न ही केश बुक में इन्द्राज है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि उक्त पट्टे पदाधिकारी की सील तथा स्टेशनरी दुरूपयोग कर कूटरचित किये गये है तथा उक्त पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। जिस कालखण्ड में पट्टे का पंजयीन कराया गया है उस समय ग्राम विकास अधिकारी अवकाश पर थे एवं उनका अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य व्यक्ति के पास भी नही था तथा विपक्षी संख्या 1 के द्वारा की गयी कूटरचना प्रकरण संख्या 78/2022 पुलिस थाना गींगला में किये गये अनुसंधान से पुष्ट है तथा दाण्डिक अनुसंधान मे उक्त पट्टे कूटरचित किया जाना पुष्ट है तथा विधि की यह सर्वमान्य स्थिति है कि कोई भी दस्तावेज यदि दाण्डिक अभियोजन में कूटरचित पाया जाता है तो वह आरंभ से ही शून्य होता है तथा उसमें कोई विधिक बल नहीं होता है। यद्यपि पुलिस अधिकारी इस संबन्ध में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है तथा इसके संबन्धी आडमान पुलिस अधिकारी पंजीयन कार्यालय में करवा सकते है किन्तु आप न्यायालय विधि द्वारा इस हेतु सशक्त तथा समुचित आदेश के माध्यम से पट्टे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना आवश्यक है। इस संबन्ध में जब पट्टो की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूखण्ड का पट्टा कूटरचित तरीके से जारी कराया गया है वह भूखण्ड वर्तमान में खाली है जिस पर बाउण्डीवाल व टिन शेड बने हुए है एवं इस सम्पति पर बसन्ती देवी पत्नी रूपचन्द जैन के साथ कब्जे का विवाद चल रहा है। इस प्रकार विवादित भुखण्ड पर पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नही है एवं उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से वननाके के पास पडत भूखण्ड है तथा पट्टा प्राप्तकर्ता सरपंच का पति है जिसने अपने प्रभावो का दुरूपयोग कर पट्टा प्राप्त किया है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

जो किसी भी दृष्टि से धारण योग्य नही माना जा सकता है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। वाद हेतुक विपक्षी क्रमांक 2 ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय जिला परिषद् उदयपुर द्वारा जांच कराई जाने पर एंव इस बाबत् कार्यालय पंचायत समिति सलूम्बर से उक्त भूखण्ड बाबत् रिकार्ड की जांच में उक्त तथ्य प्रकट में आने के कारण दिनांक 3.8.2022 को उत्पन्न हुआ तथा इस बाबत् जिला परिषद उदयपुर द्वारा प्रार्थी पंचायत समिति सलूम्बर को पत्र प्रेषित कर उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत् निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु उच्चाधिकारी द्वारा निर्देशित करने पर प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। सम्यक अधिकारी द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट है कि विपक्षी जिसके नाम पर पट्टा जारी किया गया है वह इस प्रकार के पट्टा जारीकरण के पात्र नहीं है न ही पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे में उक्त पट्टा विधि की दृष्टि में धारण योग्य नही है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

जिस दिनांक को उक्त भूमि का पट्टा जारी किया जाना निश्चित किया गया था उस दिनांक को वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी के नाम दर्ज नहीं थी एवं ऐसे में इस पत्रावली के तहत पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है एवं आलोच्य पट्टा खारिज करवाया जाना आवश्यक है। पट्टो का सार्थक अवलोकन किया जावे तो इससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टे में कई जगह रिक्त स्थान अंकित है जबकि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति पट्टे के जारी किए जाने की सम्यक प्रकिया की पुष्टि हेतु आवश्यक थी। जबकि ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाना अपने आप में पुष्ट नही होता है एवं इसकी पुष्टि रिक्त स्थानों से होती है तथा ऐसी स्थिति में यह पट्टा एवं एतदसंबंधि कार्यवाही अवैध, अकृत व शून्य होने के कारण खारीज किए जाने योग्य है।

अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि, निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारीशुदा पट्टा संख्या 181 दिनांक 12.11.2021 के निरस्तीकरण स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें एवं इस विधिक बल रहित पट्टे के अग्रेषण में की गयी समस्त कार्यवाहियां अवैध, अकृत व शून्य होने का आदेश प्रदान कराया जावे, अन्य कोई अनुतोष जो कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी से [illegible] की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि, पट्टो के सम्बंध में एक स्थापित विधि है कि ग्राम पंचायत में रहने वाले समस्त राजकीय

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

दस्तावेजों को संभालने, संवर्धन करने व सुरक्षित रखने का कार्य ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है किसी भी दस्तावेज इत्यादी के गुम होने की दशा में वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। उक्त पट्टे के पंचायत से गुम होने की दशा में आज तक वी.डी.ओ द्वारा एफ.आई.आर क्यो नही की गई है यह संदेह उत्पन्न करता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम विकास अधिकारी के निर्णय की अपील को सुनने हेतु विकास अधिकारी सक्षम है परन्तु यहां उक्त प्रकरण में अपील न सुनी जाकर 9 माह के पश्चात निगरानी मात्र पेश करना भी संदेह उत्पन्न करता है जबकि जानकारी वी.डी.ओ को 20.07.2022 से पूर्व ही प्रकरण संज्ञान में था। ग्राम पंचायत स्वंय उक्त पट्टे को लेकर अपील हेतु सक्षम थी वह 30 दिन के भीतर मयाद में अपील प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु 9 माह की देरी से जो निगरानी प्रस्तुत की है वह राजनैतिक दवाब व षडयंत्र के चलते की गई है ग्राम पंचायत ने यह बताया है कि पट्टो का पंजीयन भी फर्जी किया गया है यदि प्रार्थी के संज्ञान में उक्त बात ज्ञान में आयी तो उप पंजीयन के विरूद्व क्यो नही दर्ज करायी यह एक गंभीर सदेंह उत्पन्न करता है प्रार्थी वास्तविक न्याय चाहता तो उसने पट्टो को खारिज कराने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए था व सभी पक्षकार बनाते हुए उप पंजीयन को भी आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए था ताकि साक्ष्य के आधार पर निर्णय होता। पट्टे के संबंध में उक्त निगरानी प्रस्तुत हुई है वे प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में पंचायत समिति के प्रधान व विकास अधिकारी जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षैत्रीय विधायक की मौजुदगी में समाहरोह पूर्वक जारी किये है जिसमे निगरानीकर्ता स्वयं भी शामिल है उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कालान्तर में स्वंय भी शामिल है, उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कालान्तर में स्वंय इस पट्टे को चुनोति की अधिकारिता न होकर उक्त निगरानी पोषित नही है व यदि कोई पट्टा दोषपूर्ण हुआ है तो उसकी सजा पट्टे गृहिता को नही दी जा सकती है उक्त पट्टेकर्ता की वी.डी.ओ की जिम्मेदारी नही है यदि है तो उच्च अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विरूध कार्यवाही न कर उसे बचाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत कर मात्र लिपा पोती का कार्य प्रार्थी द्वारा अपने कर्मचारी को बचाने के लिए किया गया। यह कि दिनांक 12.11.2021 को जारी पट्टे के सम्बंध में 03.02.2023 को उक्त निगरानी एक वर्ष दो माह बाईस दिन के पश्चात पेश होने से उक्त निगरानी पोषनीय नही है। प्रशासन ग्रावो के संग अभियान 2021 में कुल 85 पट्टे प्रार्थी द्वारा समारोहपूर्वक पट्टो का वितरण किया गया जिसमें विपक्षी के पट्टे भी सम्मिलित है उक्त सभी पट्टो के अतिरिक्त केवल 6 पट्टो को ही जिसे स्वयं प्रार्थी ने बाटे है अपने द्वारा जारी किये गये पट्टो की निगरानी 1 वर्ष 2 माह 22 दिन बाद करता है यह हस्यावद होकर प्रार्थी स्वंय को कानुन के कठघरे में रख रहा है यह पूर्ण रूप से राजनैतिक कारणों से उक्त पंचायत में गैर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

जनजाति सवर्णो का सामाजिक, आर्थिक व राजनितिक वर्चस्व रहा है क्षेत्र रिर्जव हो जाने से प्रथम बार अनुसुचित जनजाति महिला सरपंच बनी थी जिसके कृत्यो का विरोध करते हुए बाद में मिलिभगत कर रेकर्ड गायब किये गये एवं मिथ्या कथन करते हुए ग्राम विकास अधिकारी हितेन्द्र सिंह चौहान ने 8 माह बाद झुठी रिपोर्ट लेकर दुर्भावना पूर्वक उक्त कार्यवाही की गई। राजनैतिक बाहुबल के आधार पर जिसके विरूध एफ.आई.आर संख्या 78/22 दर्ज कराई थी उसी ने पी.एस गिंगला में उसी दिन दिनांक 12.7.2022 को 420,120(बी) में समय 6.11 पीएम मिनट पर राजनैतिक दैषता के चलते प्रस्तुत की गई। विपक्षी के वर्षो के कब्जे के आधार पर उक्त पट्टे जारी हुए है व पट्टे पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अंकित है पट्टो पर आराजी नम्बर भी स्पष्ट अंकित है व पट्टे उपपंजीयक द्वारा रजिस्ट्रर्ड भी है और उक्त पट्टो में त्रुटि का बहाना बनाकर षडयंत्र पूर्वक वी.डी.ओ ने विपक्षियों के पट्टे में सुधार करने की बात कहकर पट्टे पुनः ले लिए ताकि विपक्षी अपना बचाव भी नही कर सके और यदि कोई क्षणिक त्रुटि यदि धारा 140 से 156 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत रह गई तो उसे ठीक किया जा सकता था और उसे ठिक करने का एकमात्र अधिकार वी.डी.ओ को था और यदि कोई त्रुटि शेष रही होगी तो उसकी जिम्मेदारी वी.डी.ओ की है जिसकी सजा वो वर्षो काबिज पट्टे ग्रहिता नही दे सकते है व स्वयं द्वारा जारी पट्टे की खारिज करने की निगरानी वो भी 1 वर्ष 2 माह 22 दिन बाद करना हास्यापद होकर ग्राम विकास अधिकारी की संलिप्तता रूप से जाहीर करता है जिस पर उक्त ग्राम विकास अधिकारी को मामुली जांच कर विभाग द्वारा अपने कर्मचारी को बचाने मात्र का कार्य किया है जो कि विधि विरूद्व होकर ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्व भी दस्तावेज गुम होने की दशा में विभाग द्वारा एफ.आई.आर होनी चाहिए थी जबकि उसकी समस्त कार्यवाही उल्टे पट्टे गृहिता पर ही कर दी गई। ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी सव्यय खारीज किये जाने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर चिंतन–मनन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत करावली का रेकार्ड तलब हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम विकास अधिकारी करावली द्वारा पत्र कमांक ग्रापक/22–23/31 दिनांक 02.03.2023 पेश कर पट्टा संख्या 181 संबन्धित दस्तावेज/मिसल ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नहीं होना बताया है। प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण के साथ जिस पट्टा संख्या 181 की प्रति प्रेषित कर रखी है उस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

है, न ही आराजी नम्बर अंकित है, और न ही भूखण्ड का क्रमांक अंकित किया गया है उक्त पट्टा संकल्प संख्या 1 दिनांक 12.11.2021 के अनुसरण में मिसल संख्या 79 बुक सख्या 4 पट्टा सख्यां 181 पर जारी करना बताया है। मूल पट्टा सम्बन्धी कोई भी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, न ही रसीद अभिलेख और न ही केश बुक में इन्द्राज है। विकास अधिकारी सलूम्बर के जवाब रिपोर्ट के साथ संलग्न जांच कमेटी रिपोर्ट अनुसार आबादी भुमि में पट्टे जारी करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने में उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिससे यह समझा जा सकता है कि उक्त पट्टे को जारी किया जाने में अनियमितता हुई है। विपक्षी सं. 2 स्वंय ने पट्टे को फर्जी होना स्वीकारा है एवं पट्टा निरस्त किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पट्टा संख्या 181 जो कि नियमानुसार नहीं बनाया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारी पट्टा संख्या 181 मिसल संख्या 79 बुक संख्या 4 दिनांक 12.11.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. सलूम्बर एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करावली को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर